न्यायालय राजस्व ...

प्र. क.    /2014   Regno 3685-III/14   36

ममता पुत्री रामनिवास

निवासी ग्राम अमोल तहसील करैरा

जिला शिवपुरी म.प्र. .......आवेदिका

दिनांक 5-11-14 को श्री सुमन्त मिश्रा, अभि. द्वारा प्रस्तुत।
5-11-14
SO

विरूद्ध

म.प्र. शासन

द्वारा कलेक्टर .......अनावेदक

## आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू राजस्व संहिता

श्रीमान,

आवेदिका की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, आवेदिका द्वारा निगरानी कमांक 1106–I/09 व उनवान ममता विरूद्ध शासन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की थी जो अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 142/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 के विरूद्ध थी, जिसमे आवेदिका को सफलता मिलने की पूर्ण आशा थी।

5/11/014

3579
शपथ आयुक्त
5-11-14

2. यहकि, उक्त प्रकरण दिनांक 21.10.2010 प्रकरण में पर्याप्त आधार मानकर प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राहय किया गया था। तथा अधिनस्त न्यायालयो का रिकार्ड मांगवाये जाने हेतु आदेश पारित किया तथा प्रकरण अधिनस्त न्यायालयो के रिकार्ड तलबी हेतु चलता रहा।

3. यहकि,दिनांक 24.09.2013 को प्रकरण रिकार्ड हेतु नियत था उक्त दिनांक को अधिनस्त न्यायालयो का रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ था इस कारण अधिनस्त न्यायालयो के रिकार्ड के तलबी हेतु दिनांक 17.12.2013 नियत की गई और दिनांक 17.12.2013 को आवेदिका के अभिभाषक श्री सुमंत मिश्रा प्रकरण की जानकारी हेतु संबंधित रीडर से मिले और पूछा कि क्या अधिनस्त न्यायालय के रिकार्ड आ गये है

ममता

रेस्टो० 2098-I/16 [illegible]

---

9/9/16

आवेदक अधि० श्री · सुमन्त मिश्रा उप० । इनके द्वारा बताया गया है कि अधिवक्ता का त्रुटि के कारण पक्षकार को रजिस्टर नहीं किया जा सका। अतः इनके निवेदन पर रेस्टोः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा R-1106-M09 से आदेश दिनांक 17/12/13 पुनः स्थापित किया जाता है। रेस्टो० आवेदन स्वीकार कर प्रस्ताव किया जाता है।

[signature]

उप जिलाधिकारी

Sumant Mishra Adv
9/9/16

[कृ. प. उ.